

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठसीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 431/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/686

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

सुमेरमल पुत्र श्री चन्दनमल  
जाति ओसवाल निवासी बालोतरा  
तहसील पचपदरा व जिला  
बालोतरा

1.कमलेश कुमार पुत्र श्री चन्दनमल  
जाति ओसवाल निवासी सुजाता  
प्लेट के पास,शाहीबाघ अहमदाबाद  
(गुजरात)

2.स्थानीय निकाय नगर परिषद  
बालोतरा जरिए आयुक्त/सभापति

3.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार  
पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
उपस्थिति-

- 1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.श्री शंकरराम डूडी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1
- 3.विप्रार्थी संख्या 2 व 3

आदेश

दिनांक 27.04.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मांझीवाला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1130/890 व 1150/895 कुल क्षेत्रफल 0.3319 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढे को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम मांझीवाला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1130/890 व 1150/895 कुल क्षेत्रफल 0.3319 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री शंकरराम झडी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली है। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मांझीवाला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1130/890 व 1150/895 कुल क्षेत्रफल 0.3319 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढ सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढे को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढे को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मांझीवाला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1130/890 व 1150/895 कुल क्षेत्रफल 0.3319 हैक्टेयर, भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है, तो विप्रार्थी को आपति नहीं है ।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मांझीवाला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1130/890 व 1150/895 कुल क्षेत्रफल 0.3319 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थी खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड खातेदार है, और रिकार्ड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढ पड़ौसीयो में सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

सपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उत्पन्न की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 11.4.2022 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

--:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मांझीवाला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1130/890 व 1150/895 कुल क्षेत्रफल 0.3319 हैक्टेयर,भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।

(अशोककुमार)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27/04/2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

